न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 144/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 27.07.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

उदयलाल आत्मज देवलाल जाति कुम्हार मृतक जरिये कायम मुकामानः—

1/1. दिनेश आत्मज उदयलाल
1/2. सीता बाई पुत्री उदयलाल
1/3. द्वारिका बाई पुत्री उदयलाल
1/4. मनभर बाई पुत्री उदयलाल
1/5. रूकमणी बाई पत्नी उदयलाल
1/6. भेरी बाई पत्नी उदयलाल
जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अमरपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

.....अपीलान्ट

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक —अपीलांट
पेरोकार सरकार — रेस्पो0 1 एवं 2

::निर्णयः:

दिनांक 26.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के प्रकरण संख्या 39/2019 बउनवान उदयलाल बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 117 दिनांक 29.12.2001 के विरूद्ध भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की

26/8/2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय की अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.07.2022 से खारिज की गई।

2. अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2022 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 बीघा 14 बिस्वा आराजी आवंटन अधिकारी उपजिला कलक्टर कोटा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन नियम 1957 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.1987 को अपीलान्ट के पिता एवं पति उदयलाल आत्मज देवलाल जी को आवंटन की गई और बाद आवंटन दिनाक 30.06.1987 को कब्जा प्रदान किया गया तब से ही अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में दिनांक 30.07.04 एवं आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जे बाबत दस्तावेजों से अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित हो जाने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही होना मानकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार दीगोद के समक्ष वर्ष 2010 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आगृह किया कि अपीलान्ट के आवंटन को राजस्व रिकोर्ड में अमल नही किया गया है। इस बाबत राजस्व रिकोर्ड में आवटन का अमल कर अपीलान्ट का नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया जावे। जिसके संबंध में तहसीलदार दीगोद द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश प्रदान किया कि अपीलान्ट का कब्जा है तथा राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज होने से धारा 91 एल आर एक्ट के अन्तर्गत अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त बिन्दुओ से अपीलान्ट का कब्जा साबित हो जाने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमा दिया गया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट को आवंटन आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर की आराजी को अन्य आराजी में मिलाकर खसरा नम्बर 445 रकबा 6.30 हैक्टर कायम किये गये, जिसमें से 0.48 हैक्टर

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

आराजी मोहनलाल आत्मज रामनारायण जाति माली को भी अपीलान्ट की भाँति ही रिकोर्ड में अमल नहीं करने पर बाद में अमल किया गया और खातेदारी प्रदान कर शेष आराजी खसरा नम्बर 848/445 रकबा 5.82 हैक्टर कायम किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं आवंटन आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.44 हैक्टर आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम इंतकाल नम्बर 117 से दर्ज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि सम्वत 2043 से 2062 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार अपीलान्ट को आवंटन आराजी के खसरा नम्बर 305 304, 303, 308, 309, 314, 295, 296, 297, 299 को मिलाकर बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 445 रकबा 6.30 हैक्टर कायम किया गया है, जिसमें से 0.44 हैक्टर आराजी पर अपीलान्ट आवंटन से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसको रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 18.04.1987 आज भी प्रभावी है, जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। साथ ही आवंटन की शर्तों की अपीलान्ट द्वारा निरन्तर पालना की है। इस प्रकार आवंटन बहाल होने एवं आवंटन आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण राजस्व रिकोर्ड तैयार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के नाम दर्ज कर दिया और बाद में अपीलाधीन इंतकाल से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दखलनामा दिनांक 30.06.1987 से अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट सदभाविक एवं उचित आवंटी होने पर अपीलान्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम होने के आधार पर ही अपील खारिज की गई। राजस्थान उपनिवेशन 1957 की पालना में बाद आवंटन आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करने का विधिक दायित्व रेस्पोडेन्ट का है। इस हेतु अपीलान्ट निरन्तर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन इंतकाल की दिनांक 22.08.2019 को जानकारी होने पर तुरन्त नकल का आवेदन कर दिनांक 25.08.2019 को अपील प्रस्तुत की उक्त अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का रेस्पोडेन्ट द्वारा

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

खण्डन नही करने के बावजूद भी अपील मियाद बाहर होना मानकर खारिज करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश सपठित इंतकाल खारिज फरमाया जाकर आवंटन के आधार पर अपीलांट के नाम आराजी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी आवंटन अधिकारी उपजिला कलक्टर कोटा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन नियम 1957 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.1987 को अपीलान्ट के पिता एवं पति उदयलाल आत्मज देवलाल जी को आवंटन की गई और बाद आवंटन दिनाक 30.06.1987 को कब्जा प्रदान किया गया तब से ही अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन सहवन से गैर खातेदारी में दर्ज नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं आवंटन आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.44 हैक्टर आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम इंतकाल नम्बर 117 से दर्ज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि सम्वत 2043 से 2062 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार अपीलान्ट को आवंटन आराजी के खसरा नम्बर 305 304, 303, 308, 309, 314, 295, 296, 297, 299 को मिलाकर बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 445 रकबा 6.30 हैक्टर कायम किया गया है, जिसमें से 0.44 हैक्टर आराजी पर अपीलान्ट आवंटन से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसको रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलांट सदभाविक एवं उचित आवंटी होने पर अपीलान्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार राजस्थान उपनिवेशन नियम 1957 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.1987 को अपीलान्ट के पिता एवं पति उदयलाल आत्मज देवलाल जी को किया गया आवंटन किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा आजदिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद बाहर होने के

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

आधार पर खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अपीलांट का कब्जा होना बताया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आवंटन यथावत है तथा राजस्थान उपनिवेशन 1957 की पालना में बाद आवंटन आवंटन–आदेश के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करने का विधिक दायित्व रेस्पोडेन्ट क्र. 2 का है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश सपठित इंतकाल निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना जाहिर किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 117 दिनांक 29.12.2001 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2019 को उक्त इंतकाल के 18 वर्ष पश्चात् अपील पेश कर आवंटन दिनांक 18.04.1987 के आधार पर आवंटित आराजी के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सं0 848/545 रकबा 5.82 है0 में से 0.44 है0 आराजी गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध 18 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश किये जाने के संबंध में इतनी विलम्ब अवधि को कन्डोन करने का कोई ठोस एवं उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.07.2022 से खारिज की गई।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद को कण्डोन नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही इस न्यायालय में विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत किया। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have*

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 20.07.2022 से खारिज किया जाना प्रकट होता है। साथ ही तहसीलदार दीगोद द्वारा सिवायचक भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी। अपीलांट द्वारा वर्ष 1987 में आवंटन के पश्चात् कब्जा–काश्त बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

26/8/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा